न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सॉवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 19/2021 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/00019)

पीतम पुत्र श्री खिलौना जाति ब्राहमण निवासी बन्धबारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

नोविन्द्र पुत्र श्री खिलौना जाति ब्राहमण निवासी बन्धबारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर बाबत दिये जाने आदेश दाखिल खारिज दिनांक 25.01.2021 मिसल नं0 12/19

उपस्थितिः—

1. श्री हरीदत्त शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः— 30.10.2023

उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 25.01.2021 तहसीलदार बयाना के खिलाफ पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 नोवेन्द्र ने दिनांक 20.11.2019 को प्रार्थना पत्र इस आशय का तहसीलदार बयाना के समक्ष पेश किया कि प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता खिलौनाराम का दिनांक 18.5.1990 को स्वर्गवास हो गया था। स्व0 खिलौनाराम के 2 पुत्र स्वयं नोवेन्द्र व पीतम व 3 पुत्रीयां मूलिया, अतरी, शिवदेई है जो कि मृतक खिलौना की कानूनी वारिसान है। आराजी खसरा नम्बर साविक 1729, 1730, 1731, 1581, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 है, जिनमें से खसरा नम्बर 1729, 1730, 1731 मृतक खिलौना की स्वअर्जित आराजी है। स्व0 खिलौना ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.03.86 को उक्त स्वअर्जित आराजी की वसीयत प्रार्थी/रैस्पो0 नोवेन्द्र के हक में कराकर पंजीबद्ध करादी थी। उक्त तीन नम्बरान का प्रार्थी/रैस्पो0 न्यारानूर खातेदार काबिज है। स्व0 खिलौना की स्वअर्जित एवं पैतृक आराजी का विरासत दाखिल खारिज गलत व अवैध रूप से प्रार्थी/रैस्पो0 व अन्य कानूनी वारिसान को सुनवाई के बिना रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.03.86 को नजर अंदाज करते हुये तत्कालीन तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 21.09.90 के अनुसार प्रार्थी एवं प्रीतम के हक में दर्ज करते हुये दाखिल खारिज दिनांक 8.11.90 को तस्दीक कर दिया गया है। तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 21.09.90 के खिलाफ जिला कलक्टर भरतपुर के यहां अपील पेश की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 15.09.92 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 21.09.90 निरस्त कर प्रकरण मृतक के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कर उचित निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। किन्तु तहसीलदार द्वारा इस निर्णय की पालना नहीं की गई। दाखिल खारिज संख्या 140 दिनांक 08.11.90 आज्ञा दिनांक 21.09.90 के निरस्त हो जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया है ऐसी स्थिति में मृतक खिलौना की खातेदारी की आराजी की बावत वसीयतनामा एंव समस्त कानूनी वारिसान पर विचार करने के बाद जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 15.09.92 की पालना में पुनः वसीयतनामा व विरासत का दाखिल खारिज खोला जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 की पालना में दाखिला खारिज खोला जावे। बाद कार्यवाही तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.1.2021 इस आशय का पारित किया कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.92 से तहसीलदार बयाना का आदेश दिनांक 21.09.90 निरस्त कर देने से नामा0 सं0 140 दिनांक 08.11.90 स्वतः ही नल एण्ड वोईड हो गया है। अतः मृतक खिलौना की उपरोक्त पैतृक भूमि जो वर्तमान में पीतम, नोवेन्द्र के नाम दर्ज है को खिलौना के विधिक वारिसान पीतम, नोवेन्द्र पुत्रान खिलौना, तथा अतरी, शिवदेई, मूलो उर्फ मूलिया पुत्रीयान खिलौना जाति ब्राहमण निवासी बन्धबारैठा राहिन पूर्णखाता बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बारैठा के नाम विरासतन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील पेश होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई एवं रैस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों तथा लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। दिनांक 15.11.2019 को रैस्पो0 नोवेन्द्र ने तहसीलदार बयाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता खिलौनाराम का दिनांक 18.05.1990 को स्वर्गवास हो गया था। स्व0 खिलौनाराम के 2 पुत्र स्वयं नोवेन्द्र, पीतम व 3 पुत्रीयां पूनिया, अतरी व शिवदेई है जो कि मृतक खिलौना की कानूनी वारिसान है। रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1729, 1730, 1731, 1581, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 है जिनमें से खसरा नम्बर 1729, 1730, 1731 मृतक खिलौना की स्व–अर्जित सम्पत्ति है, जिसे स्वर्गीय खिलौना ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.03.86 को प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र के हक में कराकर पंजीबद्ध करा दी थी। उक्त तीनों नम्बरों का दाखिल खारिज रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र के नाम शेष रहे रकबों का दाखिल खारिज दोनों लड़के व तीनों लडकियों के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5, 1/5 हिस्से दर्ज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि तत्कालीन तहसीलदार ने दिनांक 10.03.1986 को वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की प्रार्थना निरस्त करते हुए दिनांक 21.09.1990 को नोवेन्द्र व पीतम के पक्ष में दाखिल खारिज करने के आदेश दिये थे। रैस्पोडेन्ट ने अपने

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि जिला कलक्टर भरतपुर ने अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.09.1990 को निरस्त करते हुए मृतक खिलौना के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार को जिला कलक्टर की ओर से पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करनी थी। रैस्पोडेन्ट की ओर से अलग से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2019 मैन्टनेबल नहीं था, क्योंकि न तो रिमाण्ड की गई पत्रावली तहसीलदार के समक्ष मौजूद थी और न ही उसकी सत्य प्रतिलिपि ही उपलब्ध थी। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से रिमाण्ड की गई पत्रावली में संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था, लेकिन तहसीलदार द्वारा इन निर्देशों की अनदेखी कर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किये बिना आदेश पारित किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 15.11.2019 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.11.2019 को लिखा गया था कि एल.आर.एक्ट की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर तलब करें। पटवारी हल्का से रिकार्ड व मौका की रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दिनांक 13.12.2019 को पेश हो। दिनांक 13.12.2019 को पुनः इस आशय की आदेशिका लिखी गई कि उभयपक्षकारान को तलब कर पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 30.12.2019 को पेश हो। दिनांक 30.12.2019 को भी पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 23.01.2020 को पेश करने के निर्देश दिये गये। इसके बाद प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.02.2020, 17.02.2020 व 11.03.2020 को पत्रावली प्रस्तुत हुई, परन्तु न तो पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त हुई और न ही अप्रार्थी का जवाब प्राप्त हुआ। दिनांक 20.04.2020, 20.05.2020 व 17.06.2020 को लॉकडाउन लगने के कारण पत्रावली पटवारी हल्का की रिपोर्ट हेतु चलती रही। दिनांक 15.07.2020 की आदेशिका में यह उल्लेख है कि रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी का जबाव प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक 23.07.2020 को पेश हो। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में मृतक खातेदार खिलौना की ओर से छोटे पुत्र नावेन्द्र के नाम खसरा नंबर 1729/2–2, 1730/1731 किता 3 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा की वसीयत किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि तहसीलदार बयाना के फैसले दिनांक 21.09.90 बावत् तय करने विरासत जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 15.09.92 को निर्णय किया गया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि खिलौनाराम के शपथ पत्र दिनांक 07.11.87 में पारिवारिक बटवारा दिनांक 01.11.87 की पुष्टि करते हुए पूर्व में किये गये वसीयतनामे को निरस्त किया जाना अंकित किया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 15.09.92 में यह स्पष्ट है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 21.09.90 निरस्त की जाती है। तहसीलदार बयाना को उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक खिलौनाराम के वारिसान

30.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत उचित निर्णय नियमानुसार पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित की गई थी। तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर की ओर से दिये गये निर्देशों की पालना में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया वरन् रैस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर दूसरी फाईल बनायी गई है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2021 इसी आधार पर निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जब विभिन्न न्यायालयों में पक्षकारों के मध्य मुकदमें चल रहे है तो दाखिले खारिज की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था। इसके समर्थन में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में नोवेन्द्र बनाम पीतम के दावे की नकल जो कि विवादित खसरा नंबर के संबंध में ही पेश किया हुआ था, की प्रति दिगम्बर बनाम नोवेन्द्र के प्रकरण में आदेशिका दिनांक 12.06.2012 की प्रति जिसमें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया हुआ था। दिनांक 27.06.12 की आदेशिका की नकल भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें उल्लेख था कि कुल किता 24 रकबा 5.6 है0 वाके ग्राम महमूदपुरा तहसील बयाना वादी प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा किसी दीगर व्यक्ति को रहन व मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। दिगम्बर बनाम नोवेन्द्र में प्रस्तुत स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र पीतम बनाम दिगम्बर निगरानी में राजस्व मण्डल की ओर से पारित स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा तहसीलदार न्यायालय में रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र के हुये बयान की जिरह के पेज नंबर 2 की सातवीं लाईन में कहा गया था कि "जो दावा एस.डी.ओ. कोर्ट के दावे में मैंने रिकार्ड के अनुसार मद संख्या 1 में अंकन किया है यह सही है, तीन लाईन के आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि यह दावा इस वसीयत के आधार पर पेश किया गया है जो कि लंबित चल रहा है जिसमें आज की तारीख पेशी है। जिरह के पेज नंबर 3 पर नीचे से छठी लाईन में यह कहा गया है कि "यह कहना सही है कि मेरे व पीतम के मध्य एक मुकदमा उनवानी पीतम बनाम नोबेन्द्र बगैरहा, एस.डी.ओ. बयाना में चला था जो दिनांक 05.01.2001 को पीतम के पक्ष में डिक्री किया जा चुका है। यह कहना भी सही है कि इसी आराजी को लेकर एक मुकदमा अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत उसके पुत्र दिगम्बर द्वारा व उनवानी दिगम्बर बनाम नोबेन्द्र पेश किया गया था जो दिनांक 22.10.19 को खारिज किया जा चुका है। असुखद कहा कि खारिज किये जाने का मुझे पता नही है। मेरी जानकारी के अनुसार उक्त केस में 09.09.2020 की तारीख पेशी है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत में पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.01.21 में उनमें से वारिस संख्या 5 शिवदेयी फौत हो चुकी थी तथा उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा मृतक के नाम दाखिले दर्ज करने के गलत आदेश दिये गये थे। अप्रार्थी पीतम की कोई साक्ष्य नहीं ली थी और न ही साक्ष्य का मौका दिया गया। किसी भी

संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

30.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संबंधित पक्षकार को नोटिस दिये जाने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में नहीं है। ऐसा नहीं करने पर भी दाखिल खारिज की कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 1992 पेज 588 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जब पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो दाखिल खारिज की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये। उसे ड्रॉप कर देना चाहिये तथा निर्णय के हिसाब से ही दाखिल खारिज दर्ज किया जाना चाहिये। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 1992 पेज 304 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार आर.आर.डी. 1999 पेज 514, आर.आर.डी. 2001 पेज 223, आर.आर.डी. 2005 पेज 85 व 310 व आर.आर.डी. 2004 पेज 730 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब किसी भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नामा0 संबंधी कार्यवाही प्रकरण के निर्णय तक लंबित रखे जाने चाहिये। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 निरस्त किया जावे तथा सक्षम न्यायालयों में लंबित वाद में पारित निर्णयों के अनुरूप नामा0 संबंधी कार्यवाही खोले जाने के निर्देश दिये जावे। तब तक पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि मृतक खिलौनाराम की खातेदारी में स्थिति विवादित आराजी का विरासत संबंधी नामा0 संख्या 140 दिनांक 21.09.90 अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के पक्ष में तहसीलदार बयाना द्वारा स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 21.09.90 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर दिनांक 15.09.92 को अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 21.09.90 को निरस्त कर प्रकरण पुनः मृतक खिलौना के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उचित निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार बयाना को प्रेषित किया गया। तहसीलदार बयाना ने जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर आदेश दिनांक 21.09.90 के आधार पर खोले गये नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 से अपीलान्ट व रैस्पों के नाम नामा0 तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के इन्द्राज गलत रूप से किये जाते रहे जबकि तहसीलदार के मूल आदेश दिनांक 21.09.90 को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 15.09.92 को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए तहसीलदार बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 21.09.90 व इसके आधार पर खोल गये नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 का कोई प्रभाव नहीं रहा था। फिर भी प्रभावहीन आदेश दिनांक 21.09.90 व नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रैस्पों0 का खातेदारी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का इन्द्राज होता रहा और दोनों पक्ष न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 के प्रभाव को छिपाते रहे तथा राजस्व रिकार्ड में गलत खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर राजस्व न्यायलय में एक–दूसरे के विरूद्ध धारा 88, 89, 188 व 53 अंतर्गत राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा व अपील करते रहे जबकि जो दावा व अपीलों की कार्यवाहियां राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विभिन्न न्यायालयों में की गई थी वह अभी भी लंबित है। वे सभी कार्यवाहियां न्यायलय कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 से स्वतः ही शून्य व अप्रभावी हो जाती है। क्योंकि निर्णय दिनांक 15.09.92 के आधार पर न तो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात आये और न ही उससे संबंधित कोई कार्यवाही टीनेन्सी एक्ट के तहत दायर की गई। ऐसी स्थिति में पूर्व निर्णित टीनेन्सी एक्ट के तहत दावे वगैरहा की कार्यवाहियां व वर्तमान में लंबित कार्यवाहियों से कलक्टर भरतपुर के निर्णय व दिये गये निर्देश दिनांक 15.09.92 से प्रभावित नहीं होते हैं। उसी की पालना में तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 को पारित किया गया है। दिनांक 15.09.92 को जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार तहसीलदार बयाना को स्वतः मृतक खिलौना के सभी वारिसान की जांच कर नामा0 की कार्यवाही करनी चाहिये थी क्योंकि तहसीलदार के लैण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार बयाना द्वारा मृतक के नाम विवादित आराजी को नहीं देखा जा सकता था। तहसीलदार बयाना को जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 की पालना करने के लिये रैस्पों0 नोवेन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2019 को पेश किया गया था जो कि अलग से प्रार्थना पत्र नहीं होकर तहसीलदार बयाना में लंबित प्रकरण से संबंधित था। तहसीलदार बयाना द्वारा मृतक खिलौना के वारिसान के संबंध में पटवारी हल्का महमदपुर की रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 के अनुसार मृतक खिलौना के दो पुत्र क्रमशः अपीलान्ट व रैस्पों0 तथा तीन पुत्रियां कमशः अतरी, शिवदेयी व मूलो उर्फ मूलिया विधिक वारिसान प्रमाणित हुयी और तहसीलदार बयाना द्वारा न्यायालय कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 की पालना में मृतक खिलोना की पुत्रगण व पुत्रियों के नाम विरासत का नामा0 दाखिल खारिज करने के आदेश अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 के द्वारा दिये गये हैं जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नही है। तहसीलदार बयाना का पूर्व आदेश दिनांक 21.09.90 व इसके आधार पर खोला गया नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.92 से स्वतः ही नल एण्ड वोइड माने गये हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 जो कि जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.92 में दिये गये निर्देशों की पालना में पारित किया गया है, विधिपूर्ण व न्यायसंगत है। रिमाण्ड किये गये प्रकरण में निर्णय करने की कोई अवधि नही होती है। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.92 की पालना को स्थगित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से कोई अपील सक्षम

30.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय में पेश नहीं की गई। इसलिए जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.92 अंतिम माना जावेगा। विरासत नामा0 कार्यवाही पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर होगी जिसमें अन्य कोई कार्यवाही तारीख पेशी व वकील की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मृतक पुत्री के वारिसान के नाम भी नामा0 उस पुत्री की पैतृक संपत्ति में खोला व तस्दीक किया जाता है। तथा किसी भी कार्यवाही में पक्षकारान द्वारा दिनांक 15.09.92 के निर्णय का हवाला नहीं दिया गया चाहे लडका या लडकी में से कोई उपस्थित हो या नही। अनुपस्थित वारिसान के बारे में नामा0 की कार्यवाही की जा सकती है। जबकि जांच में यह आ गया हो कि अनुपस्थित वारिस मृतक का विधिक वारिस है और विरासत दाखिल खारिज करने की कार्यवाही में कब्जा देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पों ने ए.आई.आर 2022 एस.सी. पेज 2853 व ए.आई. आर. 2020 एस.सी. 810 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार ए.आई.आर. 2020 एस.सी. पेज 3717 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पुत्रीयों को उसके पिता की पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मृतक खिलौना के विधिक वारिसान के नाम नामा0 खोले जाने का आदेश जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.09.92 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली एवं उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पों0 नावेन्द्र द्वारा तहसीलदार बयाना के समक्ष दिनांक 15.11.19 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के पिता खिलौनाराम का दिनांक 18.05.90 को स्वर्गवास हो गया था। उनके दो पुत्र प्रार्थी स्वयं एवं प्रीतम राम तथा तीन लडकियां श्रीमती मूलिया, अतरी व शिवदेयी है जो कि मृतक खिलौना के कानूनी वारिस है। आराजी खसरा नंबर 1729, 1730, 1731, 1581, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697 व 1698 है जिसमें खसरा नंबर 1729, 1730, 1731 स्व0 खिलौनाराम की स्वअर्जित संपत्ति है जिसकी मृतक खिलौनाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.03.86 को प्रार्थी के हक में वसीयत कर उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीबद्ध करवा दी थी। इसलिए खसरा नंबर 1729, 1730 व 1731 स्व0 खिलौनाराम की मृत्यु के बाद वादी को न्यारान्यू प्राप्त हुयी है। जिसके नये खसरा नं0 3677, 3678, 3679, 3680, 3682, 3683 बनाये गये हैं जिनपर प्रार्थी काश्तकार व काबिज है। शेष खसरा नंबर पैतृक आराजी के थे। जिनके संबंध में कोई वसीयत मृतक खिलौनाराम द्वारा नहीं की गई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

थी इसलिए शेष रहे खसरा नम्बरान के संबंध में प्रार्थी व अन्य वारिस प्रीतम, अतरी, शिवदेयी व मूलिया प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण विरासत का अधिकार प्राप्त होने से प्रत्येक वारिसान का 1/5 हिस्सा नियत है। स्व0 खिलौनाराम की स्वअर्जित एवं पैतृक संपत्ति का विरासत दाखिला खारिज गलत एवं अवैध रूप से प्रार्थी व अन्य कानूनी वारिसान को सुनवाई का मौका दिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.03.1986 को नजरअंदाज कर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आज्ञा दिनांक 21.09.90 के अनुसार प्रीतम के हक में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जिसका दाखिला खारिज संख्या 08.11.90 को तस्दीक किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.09.90 की उप जिला कलक्टर बयाना के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर क्षेत्राधिकार के आधार पर उक्त अपील खारिज की गई जिस पर जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.92 को स्वीकार कर तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 21.09.90 को निरस्त किया तथा वसीयत नामा दिनांक 10.03.86 तथा मृतक खिलौनाराम के सभी वारिसान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनर्निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई थी जिसकी पालना में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इस प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि दाखिल खारिज संख्या 140 दिनांक 08.11.90 आज्ञा दिनांक 21.09.90 के निरस्त हो जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया है। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 15.09.90 की पालना नहीं होने से दिनांक 21.09.90 की पूर्व स्थिति के अनुसार मृतक खिलौनाराम उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं प्रीतम के नाम खातेदारी का गलत व अवैध इन्द्राज हो रहा है। ऐसी स्थिति में मृतक खिलौना की खातेदारी की आराजी बाबत वसीयतनामा एवं समस्त कानूनी वारिसान पर विचार करने के बाद जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 15.09.92 की पालना में पुनः वसीयतनामा व विरासतन का दाखिला खारिज खोला जाना आवश्यक होने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में मौखिक व लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक खिलौना द्वारा छोडी गई आराजी के बाबत् वसीयतनामा व वारिसान की जांच कर पुनः दाखिला खारिज खोला जाकर जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 15.09.92 की पालना की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से अपील संख्या 73/91 में पारित आदेश दिनांक 15.09.92, दिनांक 10.03.86 को किये गये वसीयतनामा तथा जमाबंदी संवत् 2073–76 की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2019 तक मंगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रकरण में दिनांक 23.01.2020 को वकालतनामा पेश किया गया तथा इस आशय का जबाब पेश किया गया कि प्रकरण की नकल दिलवायी जावे। जिसकी पालना में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार बयाना की ओर से अपीलान्ट को रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रतियां दिनांक 14.02.2020 को दिलवाई गई। इसका उल्लेख प्रार्थना पत्र पर की गई पावती से हो रहा है। इसके बाद उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से दिनांक 08.07.20 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि खसरा नंबर 1729, 1730 व 1731 कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा की खातेदार खिलौना द्वारा स्वअर्जित भूमि बताते हुए छोटे पुत्र नोवेन्द्र प्रसाद के नाम वसीयत पंजीबद्ध की गई है। उक्त वसीयत के संबंध में न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के यहा प्रकरण संख्या 73/91 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बयाना दिनांक 21.09.90 के बाबत् तय करने विरासत मृतक खिलौनाराम मिसल नं0 प्रीतम बनाम नोवेन्द्र की गई है। जिसका निर्णय दिनांक 15.09.92 को जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 4 में "इसके अतिरिक्त मृतक खिलौना राम के द्वारा भी एक शपथ दिनांक 07.11.87 का शामिल है उसमें पारिवारिक बटवारा दिनांक 01.11.87 की पुष्टि की गई है तथा पूर्व में किये गये वसीयतनामा को निरस्त समझा जाना अंकित किया हुआ है।" खेवट खतौनी संख्या 1999 का अवलोकन करने पर खतोनी संख्या 975 खसरा नंबर 1729, 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नंबर 1731 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा मोती बल्द चंदन ब्रहाम्ण खतौनी संख्या 150 खसरा नंबर 1730 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा मोती बल्द चंदन दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पैतृक है। कब्जे बाबत् मौके पर विवाद है। इसलिए कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के साथ जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.09.92 व शपथ पत्र दिनांक 07.11.87 की फोटोप्रति संलग्न की गई है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में पेश जबाब दिनांक 15.07.20 में रैस्पों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूठे तथ्य पर आधारित होने व मियाद बाहर होने, प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की सम्मिलित खातेदारी की पैतृक भूमि होने तथा विरासत में प्राप्त होने एवं विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने तथा एक प्रकरण में दिनांक 05.01.2001 को निर्णय होने का उल्लेख किया गया तथा यह भी उल्लेख किया गया कि विभाजन संबंधी दावा भी उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी नोवेन्द्र द्वारा उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित निर्णय की कियान्विति रोके जाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नोवेन्द्र के पुत्र दिगम्बर की ओर से एक दावा उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो कि खारिज किया जा चुका है। एक नया प्रकरण नोवेन्द्र की ओर से राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, व 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से संबंधित दाखिला खारिज का फैसला दिनांक 21.09.90 को तहसीलदार बयाना द्वारा किया जा चुका है। जिसमें कथित वसीयत को शून्य व निष्प्रभावी माना गया था क्योंकि मृतक खिलौनाराम द्वारा अपने शपथ पत्र में दिनांक 07.11.87 को निरस्त किया गया था। दिनांक 01.11.87 को दोनों

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पक्षकारों के मध्य स्टाम्प पेपर पर अपनी संपत्ति का विभाजन किया गया था। जिसको ध्यान में रखते हुए दिनांक 21.09.90 को तहसीलदार द्वारा फैसला किया गया था। इस फैसले के आधार पर ही विरासत का नामा0 खोला गया था। इस तथ्य को प्रार्थी नोवेन्द्र द्वारा उसके पुत्र दिगम्बर द्वारा पेश किये गये दावा में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर सुनवाई नहीं करवायी जा सकती है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र सी.पी.सी. की धारा 11 के प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट प्रीतम द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नोवेन्द्र की ओर से प्रस्तुत किये गये जबाब, समझौता तारीख दिनांक 01.11.87, मृतक खिलौनाराम द्वारा पेश किया गया शपथ पत्र व तहसीलदार बयाना की ओर से पारित निर्णय दिनांक 21.09.90 की फोटोप्रति व नकल जमाबंदी संवत् 1919–1939 की प्रतियां पेश कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 135 (2) एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया। इसके बाद रैस्पोडेन्ट/प्रार्थी नोवेन्द्र की ओर से उसके हक में की गई वसीयत दिनांक 10.03.86 की प्रति, स्वयं का शपथ पत्र, लज्जाराम पुत्र हीरालाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बयाना की ओर से प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र प्रसाद शर्मा के बयान भी लिए गए। जिसमें अपीलान्ट/अप्रार्थी को जिरह करने का अवसर भी दिया गया है। इसके बाद दिनांक 04.09.20 को अपीलान्ट/अप्रार्थी प्रीतम की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट प्रार्थी की ओर से दिनांक 29.10.20 को जबाब पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.01.2021 को मृतक खिलौनाराम के वारिसान के संबंध में जांच कर रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सारहीन हो जाता है।

इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.09.1992 में दिए गए निर्देशों की पालना में कार्यवाही नहीं कर रैस्पोडेन्ट की ओर से अलग से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर उक्त कार्यवाही की गई है, तो उक्त तर्क भी इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.09.92 में दिये गये निर्देशों की पालना में मृतक खिलौना की छोड़ी गई आराजी बाबत वसीयतनामा व वारिसान की जांच कर पुनः दाखिला खारिज खोला जाने की कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा रैस्पोडेन्ट नोवेन्द्र की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या 73/91 उनवानी नोवेन्द्र प्रसाद बनाम पीतमलाल को स्वीकार कर तहसीलदार बयाना का आदेश दिनांक 21.09.1990

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर देते हुए मृतक खिलौनाराम के वारिसान के संबंध में नियमानुसा जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। इन निर्देशों की पालना करते हुए तहसीलदार बयाना द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, मृतक खिलौनाराम के वारिसान के बारे में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 में प्रार्थी (रेस्पों0) व अप्रार्थी (अपीलान्ट) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों, दस्तावेजात व उभयपक्षकारान द्वारा बहस में संदर्भित नजीरों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि पंजीयन होना दस्तावेज के अस्तित्व को साबित कर सकता है उसकी सदभाविकता को नही। इसी प्रकार वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता और न ही नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही में यह संभव है इसके लिए लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अधिकार घोषणा करानी होगी। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि नामा0 की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट व टाइटल का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। मृतक खातेदार खिलौना द्वारा की गई वसीयत संबंधी भूमि स्वअर्जित होना भी प्रमाणित नहीं है। तहसीलदार बयाना ने अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 15.09.92 से तहसीलदार बयाना का आदेश दिनांक 21.09.90 निरस्त कर दिये जाने के कारण नामा0 संख्या 140 दिनांक 08.11.90 स्वतः ही नल एण्ड वोइड हो गया है। निर्णय में किये गये विवेचन तथा न्यायिक विनिश्चयों के आलोक में मृतक खिलौना पुत्र मोती ब्राहम्ण की पैतृक भूमि जो वर्तमान में प्रीतम नोवेन्द्र पुत्र खिलौना के नाम दर्ज रिकार्ड है, को खिलौना के विधिक वारिसान प्रीतम, नोवेन्द्र पुत्रान खिलौना, अतरी, शिवदेयी, मूलो उर्फ मूलिया पुत्रियान खिलौना जाति ब्राहम्ण निवासी वंधवारैठा राहीन पूर्णखाता वडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बारेठा के नाम विरासतन दर्ज किये जाने के आदेश देते हुए पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में निर्णय अनुसार अमलदरामद करने हेतु लिखे जाने के निर्देश दिये हैं, जो कि स्पष्ट व स्पीकिंग आदेश है। चूंकि उक्त आदेश उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तथा दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के पश्चात पारित किया गया है।

वकील अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस में वर्णित यह तथ्य कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मृतक खिलौनाराम की पुत्री शिवदेयी फौत हो चुकी है तथा उसके वारिसान नहीं बनाए गए थे। वह मृतक के नाम दाखिल खारिज दर्ज करने के आदेश गलत दिए गए थे। उक्त तथ्य की अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 में पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने मृतक खिलौनाराम के 6 वारिस होना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बताया है। जिसमें धूपी पत्नि (मृत), पीतम, नोवेन्द्र दो पुत्र, अतरी, शिवदेयी व मूलो उर्फ मूलिया तीन पुत्रियां होना बताया। इसमें शिवदेयी के फौत होने का कोई उल्लेख नहीं है।

वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 1992 आर.आर.डी. पेज 598 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा संबंधित पक्षकारान को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा पक्षकारान ने उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रखा है। इसलिए उक्त नजीर के तथ्य भिन्न होने के कारण हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इसी तरह वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीरें यथा 1992 आर.आर.डी. पेज 304, 1999 आर.आर.डी. पेज 514, आर.आर.डी. 2001 पेज 223, आर.आर.डी. 2005 पेज 85 व 310 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु विद्वान तहसीलदार ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 में यह उल्लेख किया है कि जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.09.92 से तहसीलदार बयाना का आदेश दिनांक 21.09.90 निरस्त कर देने के कारण नामान्तकरण संख्या 140 दिनांक 08.11.90 स्वतः ही नल एण्ड वोइड हो गया है। ऐसी स्थिति में मृतक खिलौना पुत्र मोती जाति ब्राहम्ण निवासी बंध बारेठा की उपरोक्त पैतृक भूमि जो वर्तमान में पीतम, नोवेन्द्र पि0 खिलौना के नाम दर्ज रिकार्ड है को खिलौना के विधिक वारिसान पीतम, नोवेन्द्र पुत्रान खिलौना, अतरी, शिवदेयी, मूला उर्फ मूलिया पुत्रियान खिलौना जाति ब्राहम्ण निवासी बंध बारेठा राहिन पूर्ण खाता बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बारेठा के नाम विरासतन दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते हैं जो कि इसलिए उचित प्रतीत होता है, क्योंकि जिला कलक्टर की ओर से निर्णय दिनांक 15.09.92 में तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 21.09.90 को निरस्त कर दिये जाने के कारण पुनः मृतक के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना उचित नहीं था। चूंकि तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 स्वप्रेरणा से पारित नहीं कर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.09.92 में दिये गये निर्देशों की पालना में उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम खोले जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में संदर्भित उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में संदर्भित नजीरें यथा ए.आई.आर. 2020 (sc) पेज नंबर 3717 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त भी उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस आधार पर भी तहसीलदार बयाना की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 जिसके द्वारा मृतक खातेदार खिलौना के विधिक वारिस अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अलावा पुत्रियों

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के हक में नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया गया है में कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। यह सही है कि विभिन्न न्यायालयों में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के मध्य विभिन्न वाद विचाराधीन हैं, परन्तु अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित वसीयत दिनांक 10.03.86 को पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 के अनुसार मृतक खातेदार की ओर से विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 01.11.1987 को पारिवारिक बंटवारा किये जाने व पूर्व में की गइ वसीयत दिनांक 10.03.86 को निरस्त समझे जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं, जिनमें अन्तिम निर्णय होने के बाद निर्णय के अनुसार पुनः नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही की जा सकती है। मृतक खातेदार के नाम पुनः भूमि रखे जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, परन्तु वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तथा विभिन्न न्यायालयों से विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालयों से समुचित निर्णय होने तक विवादित भूमि के संबंध में जारी किये गये आदेशों की पालना सुनिश्चित किय जाने के दायित्व भूमिधारी तहसीलदार बयाना का होने के कारण तहसीलदार बयाना यह सुनिश्चित करे कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 की पालना में खोले जाने वाले नामान्तकरण के संबंध में किसी भी न्यायालय की ओर से जारी स्थगन आदेश/निर्णय की अवहेलना नहीं हो।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2021 यथावत रखा जाता है, परन्तु तहसीलदार बयाना को यह निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों की ओर से पारित स्थगन आदेश/निर्णयों की पालना करते हुये अपीलाधीन निर्णय की पालना में नियमानुसार नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर